पटना में दिनांक–23 जनवरी, 2018 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
1.	मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से प्रतिवर्ष 100.00 करोड़ की दर से राशि की स्वीकृति एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका के नियम 2(i) एवं 4(iv) में संशोधन के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**
	सामान्य प्रशासन विभाग		
2.	सी०डब्लू०जे०सी० सं०–5779/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.09.2017 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि.प्र.से.), कोटि क्रमांक–1312/11, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1403, दिनांक–28.01.2016 को निरस्त करते हुए सेवा में पुनः स्थापित करने के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग		
3.	मुंगेर जिलान्तर्गत हवेली खड़गपुर प्रखंड के खैरा ग्राम के निकट बागरा, गोरहिया नदियों पर तथा ग्राम महकौला–ताजपुर के बीच मुहाने नदी पर सिंचाई हेतु 03 चेक डैम का निर्माण, इनसे निःसृत नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य तथा खैरा ग्राम के निकट गंगरी नदी पर भू–गर्भ जल रिचार्ज हेतु 02 चेक डैम का निर्माण कार्य (प्राक्कलित राशि 3659.12 लाख (छत्तीस करोड़ उनसठ लाख बारह हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।	3.	**स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग		
4.	दरघा नदी के दॉये एवं बॉये तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (एजेण्डा सं०–144/442) (प्राक्कलित राशि–5147.71 लाख) (इक्यावन करोड़ सैंतालीस लाख इकहत्तर हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	4.	**स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग		
5.	"कटिहार जिला अन्तर्गत झौआ दिल्ली दिवानगंज महानन्दा बांयाँ तटबंध के कि०मी० 13.25 से कि०मी० 34.07 के बीच उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (एजेण्डा सं०–144/296)" (प्राक्कलित राशि–8731.43 लाख रूपये) (सत्तासी करोड़ इक्तीस लाख तैंतालीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	5.	**स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

6. कटिहार जिला अन्तर्गत गंगा नदी के बॉये किनारे काटाकोश से गौवागाछी एवं हरदेव टोला से चौकिया पहाड़पुर तक तटबंध निर्माण कार्य एवं गौवागाछी से हरदेव टोला तक तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (एजेण्डा सं०–144/273) (प्राक्कलित राशि– 7892.35 लाख रूपये) (अठहत्तर करोड़ बानवे लाख पैंतीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 6. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

7. कमला बलान दायॉ तटबंध के कि०मी० 47.00 से 48.00 एवं कि०मी० 68.00 से 75.00 कि०मी० के बीच क्रिटिकल रिचों में उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य (एजेण्डा सं०–145/08 एवं 144/212) (प्राक्कलित राशि 6104.88 लाख)) (इक्सठ करोड़ चार लाख अठासी हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 7. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

8. बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु एच०एस०सी०एल० एवं जल संसाधन विभाग के साथ दिनांक–19.12.2005 को किये गये एम०ओ०यू० की पुर्नसमीक्षा वर्त्तमान परिपेक्ष्य में करते हुए एच० एस० सी०एल० को पूर्व में आवंटित कार्य यथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–I, II एवं IV (a) के कार्यों के कार्यान्वयन तक एम०ओ०यू० को सीमित रखते हुए शेष कार्य यथा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III (a), III (b) एवं V का कार्य सामान्य प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित कर कराने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन। — 8. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

9. नगरपाड़ा तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि ₹ 5264.39 लाख (बावन करोड़ चौंसठ लाख उन्चालीस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 9. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

10. "पी०पी० तटबंध के कि०मी० 28.00 से कि०मी० 35.00 के बीच एवं चन्द्रपुर रिटायर लाईन पर कटाव निरोधक कार्य" (प्राक्कलित राशि–रू० 4915.15 लाख रूपये) (उन्चास करोड़ पन्द्रह लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 10. **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

11. पूर्वी बाह्योत्थान बाँध के कि०मी० 13.10 स्पर, कि०मी० 14.88 स्पर, कि०मी० 23.52 स्पर पर बाढ़ 2017 पूर्व कटाव निरोधक कार्य एवं पूर्वी बाह्योत्थान बाँध के कि०मी० 23.78 से मधुबन लौकही सड़क तक कालीकरण कार्य (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि–रू० 1559.009 लाख) (पन्द्रह करोड़ उनसठ लाख नौ सौ) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 11. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

12. "बंधौली शितलपुर फैजुल्लाहपुर जमींदारी बॉध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, कि०मी० 2.60 एवं कि०मी० 5.50 के समीप ब्रीच क्लोजर कार्य एवं ब्रीच लम्बाई में बोल्डर रिभेटमेन्ट कार्य" (प्राक्कलित राशि–3285.227 लाख रूपये) (बत्तीस करोड़ पच्चासी लाख बाईस हजार सात सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बगहा अंतर्गत बगहा शहर की सुरक्षा हेतु गंडक नदी के बॉये किनारे गंडक बराज वाल्मीकिनगर के डाउन स्ट्रीम से आरम्भ कर रजवटिया ग्राम (पूर्व से निर्मित चम्पारण तटबंध 0.00 कि०मी० के नजदीक) तक नये तटबंध/गाईड बाँध के निर्माण का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शी सेवा {प्राक्कलित राशि–रू० 59.00 लाख (उनसठ लाख रूपये)} के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। — 13. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

14. सिकरहट्टा मंझारी निम्न बाँध, विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी निम्न बाँध एवं पश्चिमी कोसी तटबंध के कि०मी० 15.00 से 18.213 (भारदा के नीचे) में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, पाँची दायाँ तटबंध का सुदृढ़ीकरण तथा पाँची दायाँ तटबंध एवं डगमारा–राजपुर तटबंध में एन्टी फलड स्लूईस का निर्माण कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि :–₹4414.41 लाख (चौआलीस करोड़ चौदह लाख एकतालिस हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 14. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

15. कमला बलान बायाँ तटबंध के कि०मी० 54.70 से 77.00 कि०मी० के बीच क्रिटिकल रिचों में उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य (एजेण्डा सं० 145/17) (प्राक्कलित राशि 4721.00 लाख) (सैतालीस करोड़ एक्कीस लाख रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 15. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

17. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के लिए दायित्व का निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग (Commission of Inquiry Act, 1952 के अंतर्गत) के कार्यकाल को छः माह यथा 18.01.2018 से 17.07.2018 तक बढ़ाने के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. बांका जिलान्तर्गत अंचल–बौंसी के मौजा–कुडरो, थाना सं०–434, खाता सं०–167, खेसरा सं०–2420, रकवा– 17.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक (किस्म–चन्द्री पहाड़ी) भूमि तसर अग्र परियोजना केन्द्र, श्याम बाजार (बौंसी) की स्थापना हेतु उद्योग विभाग को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. रोहतास जिलान्तर्गत राजपुर अंचल के राजस्व ग्राम (मौजा)–"नचनियाँ" थाना सं०–15 का नाम परिवर्तित कर राजस्व ग्राम (मौजा)–"काशीपुरी" करने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

20. विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई में भवनों के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 2643.00 लाख (छब्बीस करोड़ तेतालीस लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 3597.58 लाख (पैंतीस करोड़ संतानवे लाख अंठावन हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। — **20. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

21. भारत सरकार के पत्र No.-CD-1-11/2/2016-CD.1 दिनांक –06.10.2017 के आलोक में समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभूकों को दी जाने वाली पूरक पोषाहार की राशि के दरों जो सम्प्रति 6–72 माह के बच्चों, गर्भवती/धातृ माताओं एवं 6–72 माह के अतिकुपोषित बच्चों के लिए क्रमशः 6, 7 एवं 9 रू० प्रतिदिन है, को बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से क्रमशः 8, 9.50 एवं 12 रू० प्रतिदिन करने की स्वीकृति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(आई॰सी॰डी॰एस॰ निदेशालय)

22. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls) अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर 11–14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली पोषाहार की राशि की दरों में वर्त्तमान दर 5.00 प्रतिदिन प्रति लाभुक को संशोधित कर 9.50 प्रतिदिन प्रति लाभुक की स्वीकृति तथा इस योजना को सम्प्रति संचालित 12 जिलों के स्थान पर पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई॰सी॰डी॰एस॰ निदेशालय)

23. प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY), जो भारत सरकार के पत्र सं० 13.07.2017-MBP दिनांक–09.08.2017 द्वारा मातृत्व लाभ योजना (MBP) को ही नवनामित किया गया है, को दिनांक–01.01.2017 से बिहार के सभी जिलों में लागू करने, राज्य स्तर एवं 38 जिला स्तर पर सेल का गठन करने जिसमें पद अनुबंध आधारित होगा, आवश्यकता अनुसार बजट उपबंध के अधीन व्यय करने तथा सम्प्रति वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्रांश मद में रू० 3000.00 लाख (तीन हजार लाख) एवं राज्यांश मद में रू० 2000.00 लाख (दो हजार लाख) के व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2017–18 में शिवहर जिलान्तर्गत सरोजा सीताराम अस्पताल, शिवहर के भवन निर्माण संबंधी अवशेष कार्य एवं सुपौल जिलान्तर्गत 150 शैय्या वाले सदर अस्पताल, सुपौल के द्वितीय फेज के निर्माण कार्य हेतु राशि आंतरिक सामंजन कर बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम से कुल रूपये 19,12,31,000/–(उन्नीस करोड़ बारह लाख एकतीस हजार रूपये) प्राप्त करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में "Centre for Geographical Studies" की स्थापना, इसके संचालन हेतु निदेशक एवं समन्वयक् के पदों के सृजन तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में स्थापित किए गए तीन शैक्षणिक केन्द्रों "School of Journalism and Mass Communication", "Patliputra School of Economics" and "Centre for River Studies" एवं प्रस्तावित "Centre for Geographical Studies" के लिए निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु सर्च कमिटी के गठन एवं निदेशक के वेतन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017–18 के माह अगस्त, 2017 से वेतन भुगतान हेतु केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश मद में द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि ₹ 26,00,00,00,000/–(छब्बीस अरब रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।	26.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

27.	वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियो के वेतन भुगतान हेतु वेतनादि मद में (जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के वेतनादि मद को छोड़कर) रूपये 286,97,89,627/–(दो सौ छियासी करोड़ संतानवे लाख नवासी हजार छः सौ सताईस) मात्र एवं नियमित सेवान्त लाभ/बकाया सेवान्त लाभ के भुगतान हेतु गैर–वेतनादि मद में रूपये 482,84,57,299/–(चार सौ बयासी करोड़ चौरासी लाख संतावन हजार दो सौ निन्यानवे) मात्र अर्थात कुल 769,82,46,926/–(सात सौ उन्हत्तर करोड़ बयासी लाख छियालीस हजार नौ सौ छब्बीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	27.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

29.	परियोजनाओं हेतु भू–अर्जन/अधिग्रहण की कार्रवाई में स्थापना मद एवं आकस्मिकता व्यय की राशि का पुनर्निर्धारण के संबंध में।	29.	स्वीकृत।